(Condiions Of

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe] importance of immediate relief to the- person wtio is aggrieved. As the National Labour Commission has said in 1969 the law was made, recommendations were made, and only three States have such a provision under thg law that the individual workers can go to the court.

I appeal to this House that this amending Bill may be accepted.

The question was proposed.

#### ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 30TH APRIL, 1984

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KALP NATH RAI): With your permission to announce that the Government business in this House during the week commencing 30th April, 1984 will consist of:—

- 1. Consideration and passing of the following Bills as passed by the Lok Sabha:
  - (a) The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 1984.
  - (b) The Payment of Gratuity (Second Amendment) Bill, 1984.
- 2. Discussion on the Resolution seeking disapproval of the National Security (Amendment) Ordinance, 1984 and consideration and passing of the National Security (Amendment) Bill, 1984, as passed by the Lok Sabha.
- 3. Consideration and return of the Finance Bill, 1984 ag passed by tie

The Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 1980—contd.

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश): माननीय वाइस चेयरमैन साहब , सब से पहले तो मैं यह कहना चाहंगा कि मैं उन लोगों में हुं जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमारे देश के जरनलिजम में काम करने वालों को पूरी सहलियत मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इस पेशे की जो अपनी मान्यतायें हैं, जो उस के अपने ग्रकदार हैं उन को ज्यादा मजबत बनाने चाहिए। धाबे जी ने ग्रभी जो यहां पर बिल रखा है, लगभग दो साल पहले 1981 में हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने उन तमाम बातों पर विचार करते हुए जो पालेकर एवाई हमारे सामने ग्राया था ग्रीर जो ग्रीर दिक्कतें विकेग जरनलिस्टस के पेशे में थी और दूसरे जो इस में काम करने वाले लोग थे उन सब पर विचार कर के एक ग्रांडिनेंस के जरिये उन सहलियतों को पहले प्रोवाइड किया था स्रौर उस के बाद उन का एक पेक्ट बना जिसके ऊपर काफी चर्चा इस सदन में और दूसरे सदन में भी हुई थी। याज हमें खास तौर पर यह देखना होगा कि क्या जिस तरह का प्राविधान और जिस तरह का संशोधन ग्रभी घाने जी ने रखा है उससे कोई खास मनबद हासिल होगा या नहीं। मैं समझता हं लेबर कोर्ट के जरिये, सरकार के नाध्यम वे लेबर faction 2 -02 -2 -2:

Service) & Miscel-

(Conditions of किया जाता है या एजडिकेशन के लिये जो मामले भेजे जाते हैं वह काफी मुनासिब तरीका है क्योंकि काफी वकफा मिलता है इम्प्लायर और इम्प्लाई को ग्रापस में बात चीत करने का ग्रीर एक समझौते तक पहुंचने का । ग्राज जहां हमारे धाबे जी ने लिटिगेशन की बात कही, ग्रदालतों को ग्रगर देखा जाय तो हाई कोर्ट ग्रीर सुप्रीम कोर्ट ग्रीर नीचे की जो हमारी श्रदालतें हैं, विशेषतः हाई कोर्ट में तो बहुत लम्बी तादाद में ऐसे मुकदमे पड़े हुए है जिन में कोई फैसला नहीं हो सका है और कुछ मुकदमे तो इतने दिनों से पड़े हुए हैं कि जिन की मियाद 8 ग्रीर 10 साल तक जाती है। ऐसी सुरत में ऐसे तनाजात जो हैं उन के सिलसिले में डाइरेक्ट कोर्ट में जाने से मैं समझता हूं कि ज्यादा देर हो जाने का भय है ग्रीर इस लिये मैं समझता हूं कि जिस तरह का ग्रमेंडमेंट ग्राप यहां रख रहे हैं उस से कोई बहत ज्यादा फायदा जो इस पेशे में हमारे जरनिलस्ट हैं उन को नहीं पहुंचेगा । हमने 1981 के ऐक्ट ; खासकर सस्पेंशन, रेक्टमेंट, छंटनी ग्रौर दूसरी तरह तरह की ज्यादितयां जैसे हमारे पार्ट-टाइम जरनिलस्टों के साथ होती थीं, उनको रोका गया, उनको एक हैसियत दी गई है। उनको बरावर के अख्तियारात ग्रब मिले हुए हैं बाकी लोगों को जैसे मिले हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हं कि पालेकर ग्रवाई के ग्राने के बाद उसको ग्रमल में लाने की क्या सरतेहाल है। पालेकर अवार्ड के आने

209

The working Jour-

nalists & other News-

paper Employees

से बड़े ग्रखबारों के मालिकान ने विका जरनिलस्ट्स के खिलाफ ऐसे ग्रनेक ऐक-दामाद किए थे श्रीर ढाई हाजार के लगभग लोग रिट्रेंच कर दिए गए थे पालेकर अवाटडं वनने के बाद उनकी क्या स्थिति है ? कितने लोगों को ग्रब उनके कामों पर वापस लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहंगा कि हमारे जो कारसपोंडेंट ग्रौर स्पेशल कारस्पोंडेंट हैं, रिपोर्टर हैं, श्राज जो हमारी स्थिति है, उसके अन्दर उनकी जिन्दगी को कभी कभी वहत खतरों का सामना करना पड़ता है। अभी अभी हाल ही में कई वाकायात ऐसे हुए हैं कि जो समाज के ग्रच्छे लोग नहीं हैं, उनके खिलाफ जब भी कोई चीज वह निकालकर लाते हैं और लिखने की कौणिण करते या लिखते हैं तो उन्हें दंडकी सुरत में जिन्दगी से भी हाथ धोने पडते हैं, उनकी जिन्दगी तक ले ली जाती है और उनको इस तरह की धम-कियां दी जाती रहती हैं। ऐसी सुरत में वह वड़े मालिकान जो वड़े वड़े हाउसेज को चलाते हैं, उन पर कोई ग्रांच नहीं ब्राती है ब्रौर ज्यादातर रिपोर्टर्स ब्रौर स्पैशल कारसपोंडेंट्स को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहुंगा कि कोई ऐसीं व्यवस्था वननी चाहिए जिससे कि उनकी जिन्दगी और उनके परिवार के लोगों को सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की किसी न किसी तरह से गारन्टी की जानी चाहिए ग्रौर ऐसी ग्रवस्था में जब भी कभी उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो जाए तो उनको सुरक्षा के लिये लेबर लाख में इस तरह का प्रावधान किया

# [श्री सैयद सिब्त रजी]

The. working Jour-

nalists & other News-

paper Employees

(Conditions of

जाए और उनको कंपेंग्रेसन या फीमली पैंशन दी जाए तो उचित होगा। इस वात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के जर्नलिस्ट देश के दिमाग को बनाते हैं, हमारा जर्नलिस्ट देश को सहो दिशा दे सकता है, वह देश को वह दिशा भी दे सकते हैं जो सेहतमंद देश को बना सकें। वह ऐसी दिशा भी समाज को दे सकते हैं जिससे समाज में देशभवित ग्रीर शान्ति वढ सकती है। लेकिन ग्राज तमाम अखवार उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं जो कि ग्राजाद हिन्द्स्तान में उनको निभानी चाहिएं । मैं पूरी तरह से इस पक्ष में हूं कि जर्न-लिज्म को इंडिपेंडैंट होना चाहिए, लेकिन उस इंडिपेडेंस को कहां तक ज्यादा दिनों तक वदस्ति किया जाएगा जिससे देश ग्रागे न बढ़े ? बड़े बड़े मालिकान के जो निहित स्वार्थ हैं, उनकी सलाह से उन्हें काम करना पड़ता है। हमारे जो विकिग जर्नेलिस्ट है उनकी मंशा पर मेरा आक्षेप करने का इरादा नहीं है क्योंकि वह मजबूर हैं। जिन्दगी में पेट पालने के बहुत बड़े सवा-लात हमारे सामने हैं और जब वे किसी वात को समझते हैं कि वह समाज के खिलाफ होगी यदि उसको कहीं लिखना पढता है तो उन्हें जिन्दगी में कई तरह की मसीवतों का सामना करना पढ़ता है। ऐसा ही ग्रमी एक फिलंम "मशाल" में चित्रण किया गया है, ट्र करेक्टाराइजे-शन किया है अच्छे और इंडिपेडेंट जर्नल-स्टस का : उसमें हीरो ने, जिसने अपनी मान्यताओं को एक तरह से जब कलम से लिखना चाहा तो उसको रोक दिया गया और रोकने के साथ साथ उसकी जिन्दगी में ग्रनेक वाधायें ग्रौर कठिनाइयां पैदा की गई।

ग्राज यह भी होता है कि वड़े घराने के जो लोग ग्रखवार चलाते हैं वह कारसपोडें-

टस ग्रीर रिप्रजन्टेटिव्ज को भी परेशान करते हैं, इधर उधर ट्रांसफर करके भी सबके लिए परेशानियां पैदा करते हैं। मान्यवर, ज्यादा समय नहीं लेना चाहंगा कि ग्राज हमारे हिन्दी ग्रखवारों को जो न्यु एजेंसी हैं उनके ऊपर भो बहुत ज्यादा ग्रापत्तियां हैं । ग्रभी-ग्रभो ग्राप जानते हैं कि हमारी जो ''समाचार भारतो'' समाचार एजेंसी है किस तरह से उसके ग्रंदर हमारे विकेश अर्ने लिस्ट्स खिलाफ तमाशा किया गया। उनको कितने-कितन दिनों तक तनस्थाह नहीं मिलो ग्रीर इन मामले में इस सदन में भी सवाजात उठेथे। ऐसो स्थिति में जहां कि हम हिन्दी ग्रखबारों के जरिए ज्यादातर लोगों के पास पहुंच रहे हैं वहां ऐसी एजेन्सीज की ग्रार ऐसे काम करने दाले केन्द्रों को बहुत ज्यादा महत्ता है इसलिए इस और भो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।

ग्राखिर में मैं यह कहना चाहुंगा कि ग्राज के लोगों का जो विश्वास है वह हमारे जरनिलस्टों के पेशे में और ज्यादा वढता चाहिए: लेकिन वह विश्वास उसी वक्त बढ सकेगा जब हमारे काम करने के लिये कानुन में जो प्रावधान किया गया उनका कार्यान्वयन पुर्ण रूप से होगा तभी उनका काम करने में भन लगेगा ग्रीर सुरक्षा की भावना से जी वह सोचते हैं उसे वह लिख सकेंगे ग्रीर ग्रपने ग्रामे वाले भविष्य के लिये चितित नहीं होंगे। इन शब्दों के साथ में धाबे साहब से अनुरोध करूंगा कि इस समय जो हमारा एक्ट है, 1981 में जो एमें ड हमा था, वह हमारी सारी अरूरतों को जो उनके प्रस्ताव से संबंधित है, पूरा करता है। इसलिये वह अपना विल वापस ले लें।

{Shri K. Mohanan (Kerala): Mr. Vice-Chairman SIR I have been in the journalist's profession for nearly 18 years. I am happy to congratulate my esteemed

colleague who introduced such a Bill belore the House to find out some kind of I ol lition to the problem faced by the entire Journalist community of this country. I do agree that the working conditions of working Journalists in this country are much improved when compared to the state of affairs a quarter of a century back. But it was not with the mercy of anybody in this country but because of the organised and incessant fight waged by the working Journalists in this country that there has been this improvement in their working conditions. .Many veteran leaders of this movement were victims in the struggle and many of them dedicated their lives to the cause of the Journalist community of this country. Even now, victimisation is the rule of law prevailing in this industry throughout the country. Right in the capital of India office-bearers of leading Unions including several Journalists were either suspended or dismissed or otherwise victimised for demanding a better deal to the workers. For example, the "National Hearld" which has not only not paid minimum bonus but also have swallowed up the provident fund of the workers. There are reports of even delaying the cases of the workers. The linkage they have given is that their newspaper establishments cannot be treated as charitable institutions. Last year more than 80 workers including leading union leaders were suspended from the various newspapers in Delhi. Sir. in the 'Times of India", Delhi, which is leading establishment in the newspaper industry, the Palekar Award has not yet been properly implemented, despite booming profits. Some journalists are getting a category less than their colleagues. Even bonus is denied to them. Some of them have to work as bonded journalists, having to sign bonds. And this quantum has also been raised. Arbitrary standing orders are being foisted by some companies, including the '^Hindustan Times", seeking to include a search clause for journalists. Two principal news agencies. Hindustan Samachar and Samachar Bhar, nti, are now collapsing. In the Hindustan Samachar, journalists and non-journalists are working without wages for so many months.

BE: More than a year.

19841

laneous Provisions

[27APRIL,

SHRI K. MOHANAN: Yes, more than a year. Sir, this is the general condition of the newspaper industry and this is the general way in which the management deal with the problems of working journalists and nonjournalists in this industry. It is not that there is no money. Why am I saying that? Many of the newspaper establishments in this country are for complete automation. They have bought machines worth crores of rupees and yet are cutting down the journalist and nonjournalist staff. There are genuine fears that in the next decade, half the staff in our newspaper industry would be put on the roads. Already, new recruits, other than managers, in most of the newspapers have been cut down, and new recruits even against existing vacancies are not being taken. Sir, I would like to know what the Governmeat has to gain by having an army of unemployed newsmen in this country to please the barons of the newspapers industry. Already the casual labour and trainees for an indefinite period are on the increase in many of the newspaper establishments.

Sir. I am fitly aware of the situation faced by small nnd medium newspapers in this country. It is due to the wrong policies adopted by the Government in the matter ol newsprint allocation and advertisements. The STC and the Govern-mem-owned newsprint factories are charging exorbitant prices for newsprint. And supplementing that, our han. Finance Minister decided to cut 20 per cent on advertisements. In this context. I appeal to the Finance Minister to withdraw the 20 per cent cut on advertisements at least i,n the case of small and medium newspapers. Otherwise, these newspapers which are facing a very serious situation, will not be able even to implement the Palekar Award.

Now, r would like to point out the plight of the part-time correspondents and the non-journalists in this industry. You are aware of the fact that the Government. in order to study the working conditions of the journalists and to make arrangements for better conditions for them, appointed a tribunal under the chairmanship of G.D. Palekar who gave the award 1980 which was called the

The working Journalists & other Neiospaper Employees (Condiions of

[Shri K. Mohanan]

Palekar Award. But the Award did not cover all the working journalists, part-time correspondents, apprentices and mon-journalists. Consequently the objective of the tribunal remained unachieved. According to the Palekar Award, the newspaper establishments and news agencies were bound to enforce the recommended scales of pay. But in order to avoid the enforcement, they terminated the services of all kinds of parttime journalists. And a unique method was adopted for terminating the services of the part-time correspondents. For example, the "Hindustan Times" group wrote to the parttime correspondents as follows:

"Y6u are hereby informed that the arrangement under which you filed newspaper reports and stories for our 'Hindustan Timss' Hindi daily is hereby terminated with immediate effect."

The 'Indian Express' wrote

"We advise you that due to reorganisation of administration we terminate our arrangement with you as part-time coi respondent with effect from 31-3-80. We thank you for the interest you have shown hitherto. Please return Us your press pass bearing authority." The 'Nav Bharat Times' wrote:

"You are working as liner for our 'Nav Bharat Times' and your principal avocation is not jouranalism. You are being paid for your contribution on a liner basis at the rate of Re. 1 per column inch of the news that is published in our newspaper. There has been negligible contribution from you and, therefore, you are requested to stop sending your reports."

These are the methods adopted by ihe newspaper establishments to evade from the recommendation of the Palekar Award. In this context I say that the part-time correspondents are not getting the benefits as per the recommendations of the Palekar Award. So, this should also be rectified through a separte legislation.

Another one the plight of the non-working journalists. The Working Journalists (Conditions of Service and Miscellato the non-working journalists employed in the newspapers. The Act is mainly meant for working journalists. However, though initially the Act was meant for working journalists, it was amended in 1974 and Section 13B was added empowering the Central Government to. constitute a Wage Board for the non-working journa, list newspaper employees. Though there is this power to constitute a Wage Board, there are no provisions made to give benefits to the non-working journalists. Even as per the recommendations of the Palekar Award it was not obligatory on the part of the newspaper establishments to implement the recommendations of the Palekar Award in relation to non-working journalists. So, in this case also an amendment to the original Act is necessary.

Service) & Miscel-

(Amdt.) Bill, 1980

In view of this background I would appeal to the Minister that a comprehensive amendment Bill amending the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions) Act 1955 may be brought forward without and delay and in that case include the three amendments— one moved by Shri Dhabe on the floor of the House, second regarding part-time correspondents' service conditions and third for non-working journalist employees. With these words I conclude my speech.

SHRI R. MOHANARANGAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, our colleague and friend, Mr. Dhabe, has moved an amendment Bill with regard to the service conditions of working journalists and other newspaper employees. He has very clear ly mentioned about the time element ----especially an individual under the Industrial Disputes Act is totally barred from approaching labour courts to redress the grievance\* of the employees of the newspapers and working journalists. And my friend over there has requested him and has gone to the .extent of asking him to withdraw the amendment Bill while another colleague of ours, Mr. Mohanan, supported entirely the amendment Bill moved by my colleague, Mr. Dhabe. As far as my position is concerned, Mr. Dhabe touched the last chapter of the working journalists and other newspaper employees Act, the life history of newspaper corres-

to the newspapers- he touched exactly the place where the employees, working journalists are employed, where they are dismissed or where they are discharged, where and how they are retrenched or how exactly they are to be terminated. Wh?.t exactly they have to do after their termination? That is what our colleague has pointed out and has moved a,n amendment asking to oppose that particular Bill giving an opportunity for the employee to straightaway go before the Labour Court and to get his grievance, redressed.

There are several grievances for working journalists and they have been clearly pointed out by my colleague, Shri Mohanan. As far as I am concerned, I have to say certain things with regard to newspaper journalists as well as other employees of newspaper industry.

My experience is that whenever I ask a journalist where he is working, with which paper h<sub>e</sub> is working, he will say that he is working with a paper called 'A'. After a lapse of six months, if you ask the same journalist where he is working, he will till you that he is working with some other newspaper. Once I asked him as to why he is changing from one place to another so often. Do you know what he said? He said; I am searching for a better job, with better salary, with better working condtions, with better environment and better circumstances so that % can have a better standard of living. This is the real position of each working journalist and each newspaper employee. They have no security of job in their life. My friend Mr. Dhabe was concerned about what such a<sub>n</sub> employee or journalist can do, whether he or she can go straightway to the Labour CouTt or whether there is any other way in which he or she can get the grievances redressed.

My point is what  $i_s$  the condition of service of a journalist even after he is appointed as such  $i_n$  a newspaper office? Invariably he will be appointed as an apprentice or a part-time employee, though he will have to work for the full day. Though he will be asked to work throughout the day,  $h_e$  will  $b \otimes paid$  only on the basis of

My friend has referred to the Palekar Award. I am not going to ask the Minister or the officers to recommend anything on the basis of the Palekar Award simply beause the Palekar Award was based on the conditions and circumstances prevailing ten years before. Palekar submitted his report after taking into consideration the situation prevailing ten years before. Even Palekar Award based on conditions prevailing long ago, some of the newspapers have not implemented.

This amending Bill moved by my friend says that a journalist newspaper employee, after termination of his service, should be enabled to approach the Labour Court. What I have to say is about part-time correspondents and reporters who are working in rural areas whose plight is worse than their counterparts posted in urban areas. Part-time correspondents and reporters in urban areas can somehow manage to enter into some department or somehow tackle their problems part-time after termination. But correspondents and reporters working in rural areas are not  $i_n$  a position to live with a minimum standard of living even. For their sake, the Act has to be amended and I would suggest that such part-time correspondents and reporters, once they work for six months, should be automatically treated as full-time employees of the organisation. I think my friend Mr. Razi knows that this problem was discussed in this House sometime back when it was revealed how dangerous their job is. More than half a dozen reporters were murdered and this was discussed on the floor of tlfis House a year back.

I know how part-time icporters are appointed to report about sports and horseraces in Guindy. These reporters have to work for 18 hours sometime continuously getting only part-time salary. I do not think they are even served with showcause notices before dismissal. You know that we have to give a minimum of three months' notice before dismissing any of our employees. They do not 4 P.M. state the reasons for

(Conditions of

Service) & Miscel-(Amdt.) Bill, 1980

[Shri R. Mohanarangam]

219

their services are terminated. With regaid to the part-time workers or employees, they are not given this much of advantage and they are not given notices in advance and they are not given to understand as to what exactly the reasons are for which their services terminated. There is no written appointment order also and there is no mention about the apprenticeship of the working journalists and the other newspaper employees. regaid to the categorisation also, Sir, I have to say something. There are categories like editors, sub-editors, news editors and so on. A news editor will be asked to look after the work of an editor whereas he would be the salary of a news editor only. All these things that arc there in the categorisation will have to be taken into consideration. The condition of these working journalists and the other newspaper employees such that the entire Government, not only the Labour Minister, the entire Cabinet must take the full responsibility for taking care of the problems of these people, especially because the condition of the working journalists and the other newspaper employees is very very poor and is not comparable with the condition of even the Class IV employees of the Government. Central or State.

With these words, Sir, I would only request my honourable friend, Shri Dhabe, to withdraw this Bill. Not that we are not interested in the welfare of the ing journalists and the newspaper employees. We are interested in their welfare and in the improvement of the working conditions of the working journalists and the newspaper employees. To that ex-teat t support the Bill. Thank you. Sir.

SHRI KAMALENDU BHATTACHAR-JEE'(Assam): Mr Vice-Chairman. Sir. 1 stand heie to speak something the proposed amendment the Working Journalists and Other Newspapers Employees (Condition of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

Mr. Vice-Chairman, Sir. we all know that it is a matter of common knowledge. and it would be admitted on all hands.

that the big business tycoons who most of Ihe newspapers all over the country are minting money. They are minting a huge amount of money. But at whose cost? The working journalists and other categories of workers in the newspapers all over India, with their brilliant academic career and with their inspiration and perspiration, help these newspaper people in earning money, but they are getting nothing. Their interests are not looked after at all. The big business tycoons exploit them and make them work beyond the normal limit and these people who work for earning their bread, for getting two square meals a day, have to work very hard and they have to work very late also. In my area. I have seen, they have to report at 7 o'clock in the morning and they have to work till late in the night. For whose benefit? lamentably poor rate they are paid and they do not get anything. As far as the reporters are concerned, they have to report as the owners of the newspapers want them to report. As we all know, the owners in most of the cases are the rich people ad these reporters have tO report as the owners want them to report. If they make a point out of it and if they want to report as they want to report, they never get a chance and if they have any opinion on a particular subject, they are never allowed to freely ex-presg that point and they are, I amconstrained to say, always to dance to-the tunes of the owners only. These are the people who always' try to report the various maladies which are there in the society, the various incidents that take place in the country, these are the people who try to make the most of their calibre and these aTe the people who want to write the correct things newspapers. But these big business in the who are actually running the people, newspapers, never allow them to  $d_0$  so.

Now, Sir, a<sub>s</sub> lar as I understand, in the case of the Industrial Disputes Act of 1947, any dispute or any matter connected with that has got to be referred to a labour court for adjudication only by the appropriate authority which means that the working journalists and others do not have any right or privilege to approach directly a labour court against any order of dismis.

Service) & Miscel- 222 laneows Provisions (Amdt.) Bill, 1980

sal, discharge, removal, etc. by the newspaper employer. You see under what pitiable condition the working journalists and other associated workers have to work. Actualy they do not cet any benefit and they spend most their valuable time just for depictrjig a true picture of what is happening all round the society. But actual, ly they do not quite get anything out of that.

So I would like to support the amendment. But 1 want that it should be more comprehensive and more foolproof so that it can improve and steadily ameliorate the standards of the working journalists.

With these words, I conclude. Thank you. Sir

श्रो अध्यक्तो कुमार (बिहार): श्रोमम्, ग्राअ हमारे माननीय सदस्य, श्री धावे जी, ने एक बिल रखा है कि जो समाचार-पत्नों में काम करने दाले लोग हैं, उनको कुछ सुनिधाएं दो जाएं।

हम सब जानने हैं कि प्रजातंत्र के ग्रंदर चार पाये मानते हैं, विद्यायिका, कार्यगालिका, स्तायपालिका ग्रीर चौथा प्रैस है। चारों के ग्रंदर कोई भी एक पाया कमजोर होना, जो प्रजातंत्र ढांचा चार पैर के ऊपर नहीं चलेगा, चरमरी जाएगा । एक टांग नीची होने से चारपाई या टेबल डगमग करता रहेगा श्रीर ग्राज देखने में क्या श्राता है कि कार्यपालिका के पास - कितनी शक्तियां कितना उनमें काम करने वालों को धन मिलता है, यह कोई हम्रा नही है। एक अपरिमित शक्ति उनके पास है। विधायिका के पास भी शक्ति है, चाहे जैसे कानन बनाते हैं। न्यायपालिका में भी लोगों को कुछ दो जुन भोजन करने का समय मिलता है, पर जर्नलिज्म के ग्रंदर पत्रकारिता जगत में ग्राते

उनमें से अधिकांश 🖁 व्यक्ति जीवन में कुछ भावतायों से प्रेरित, साहित्यक वित्त के लोग होते हैं, जो जान-बझ कर कंटक मार्ग को अपनाते हैं कि इसमें तो कष्ट हैं। कष्ट हैं, पर फिर भो इसमें आते हैं, देश भक्ति को प्रेरणा से छाते हैं कि हमको सभाज में जो चीजें छिपो हुई हैं, उनको उज्जागर करके जनता के सामने लाना है। परन्तु उनकी दो जन भोजन की व्यवस्था हाती है क्या ? किन्ही बड़े पत्नों के ऊपर जिनकी कि एक सीमिं। सर्क्लेशन से ज्यादा सं० है, उनके ऊपर पालेकर छवार्ड लाग किये गये हैं, थोड़ा बहुत उनको वहां पर दो जन भोजन की व्यवस्था और कुछ नौकरी का स्थाधित्व भ्राया है, परन्तु मैं श्रापका ध्यान ब्राकुष्ट करना चाहंगा कि उन पत्रकारों के अलावा दों और समाचार-पद्धों के बड़े महस्वपूर्ण ग्रंग हैं, एक ग्रंग है जो प्रस को चलाते हैं। उसके ग्रंदर सारे प्रकार के कार्य करने वाले इम्पलायजोज हैं, प्रेस से लेकर वह पतकार के पास तक सारो चोजों को ले जाने, पहुंचाने का काम करते हैं, मशीन चलाते हैं।

दूसरे हैं जो ताल्लुका में, जिले में बैसे हुए उनके पार्ट-राइम कारेस्पांडेंट हैं। वास्तव में जो प्रांतीय कैन्द्र होते हैं, उनके ग्रंदर समाचार-पव पूर्ण समय, पूर्णकालिक ग्रंदर समाचार-पव पूर्ण समय, पूर्णकालिक ग्रंपना एक प्रतिनिधि रखते हैं। उसकी कुछ आमदनो भी होती है, उनको नौकरी की तनख्वाह भी मिलतो है, कुछ ग्रन्थ सुविधाएं भी प्राप्त होती है, पर जो जिला ग्रोर ताल्लुका स्थान पर रहते हैं जहां भारत की जनता रहतो है, ग्राम ग्रादमी जहां रहता है, जहां से समाचार ग्राते हैं, वहां पर कौन होता है, कोई प्रौफैसर है, कोई वकील है, कोई ग्रीर इस प्रकार का सोगल वर्कर है, जोकि पार्ट-टाइम जनं-

224

# (श्री ग्रश्विनी कुमार)

लिस्टका काक करते हैं। वह बमता-फिरताहै ग्रीर समाचार भेजताहै ग्रीर कई बार जो वहां के शासनकर्ता है, वहां के पुलिस और इंजपेक्टर होता है, एस० पी० होता है, डो० एम० होता है, वहां की सत्ताभारी दल का जो एम० एल० ए० या एम० पो० होता है, उनके भ्रष्टा-चार के खिलाफ वह कभी-कभा ग्रावाज भी उठाते हैं, जो ग्राज नग्ण भ्रष्टाचार हो रहा है। हम जानते हैं कि सदन के ग्रंदर कई बार चर्चा होती है, लाखो-करोडों रुपया जो यहां से जनहित के लिए जाता है, वह किस प्रकार से इधर से उधर जाता है, जब उनके समाचार बह पत्रकार भेजते हैं, तो उनको धमिकयां जी जाती हैं--खबरदार, ग्रगर तुमने ऐसे समाचार-पत्न छापे।

तो मुझे पता है ग्रोर मैंने इसी सदन में एक चर्चा भी रखी थी, बिहार के अंदर मुजप्फरपुर में एक समाचार-पत्न प्रतिनिधि ने अपना समाचार रखा। बहु शायद बहां के जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको पसंद नहीं ग्रापा। समाचार छाने के 44 घंटे के ग्रंदर रात को नौ बजे जब वह एक होटल, मैं खाना खा रहा था, तो मार-मार कर के उसे अधमरा कर दिया गया। इस प्रकार को एक नहीं, श्रानेक घटनाएं होती हैं।

पिछले साल उड़ीसा में एक महिला पत्रकार थो, उसने कुछ खबर ऐसी छापो ऐसी भेजी जो कि सत्ताधारी दल के अनुकूल नही थो। उस के ऊपर बलात्कार किया गया, उस को मार डाला गया। ये खबरें छमी हैं और आप सब ने देखीं हैं। इस की ओर सरकार का ध्यान देना चाहिये। अगर सरकार चाहती है कि जो समाज के अन्दर खटन(एं हो रही हैं वे समाचारपत्रों के माध्यम से सरकार के

सामने ग्राएं तो उन्हें ग्रावश्यक सुविधाएं देनी चाहिएं। ग्रगर ये खबरें नहीं मिलेंगी तो सरकार काम नहीं कर सकेगी। इमरजेंसी के समय समाचारों के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। बहुत सी खबरें ग्राती ही नहीं थीं। बाद में लोगों ने स्वीकार किया कि खबरें नहीं मिलती थीं। प्रजातंत्र को ग्रगर चलाना है तो जो जिले के ग्रन्दर, सब-डिवीजन के ग्रन्दर घटनाएं हो रहीं हैं उन का सही प्रतिबिम्ब सरकार के पास ग्राना चाहिए। सरकार को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । बहुत से समाचार पत्र पोस्टेज का खर्चा दे देते हैं, बहुत से 10,20,50 रुपए महीना दे देते हैं समाचार भेजने वालों को। जैसा इस में वतलाया गया है, उन की सर्विस कन्डीशन्स ठीक हों, उन को सुविधाएं प्रदान की जाएं। ग्रभी-ग्रभी हमने देखा कि 'समा-चार भारती' ग्रीर 'हिन्दुस्तान समाचार' ये दो भाषायी समितियां हैं --में क्या हो रहा है। महीनों से उन के कर्म-चारियों को दिल्ली के श्राफिस में तनख्वाह नहीं मिली है पटना ग्राफिस में नहीं मिली है : हमारे भाषायी समाचार--पत्नों को समाचार देने वाली ये एजेंसियां हैं, इन के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पार्ट-टाइम कारेस्पोडेंटस के बारे में सरकार क्या करेगी। इस सदन में चर्चा हुई है 'समाचार भारती' ग्रौर 'हिन्दुस्तान समाचार' के संबंध में । मेरा निवेदन है कि सरकार को यह स्विधा प्रदान करनी चाहिये कि किसी पत्रकार के ऊपर ग्रन्थाय होता है तो वह लेबर कोर्ट में जा सके, न्यायालय की शरण ले सके। श्रव 'हिन्द्स्तान समाचार' की को-ग्रापरेटिव सोसाइटी थी, सरकार ने उसे स्वयं ग्रहण कर लिया ग्रीर सरकार के प्रधीन चल रही है। सरकार ने उसे चलाने की जिम्मेदारी ली है, अपना एडमिनिस्टेरट

(Conditions 0/ एपोइण्ट किचा है । इस पर भी एम्प्लाइज को तनस्वाह नहीं मिलती तो कैसा चलेगा। 'हिन्दुस्तान समाचार' ग्रीर 'समाचार भारती' के संवाददाता भखों मर रहे हैं, 18-18 महीने से तनस्वाह नहीं मिल रही है, दस-पन्द्रह माल को नौकरी है, इसी प्राणा से काम कर रहे हैं कि शायद मिल जायगी। पत्नकार जगत में रह गये, इसलिए बेचारे पड़े हैं। मैंने पुछा तुम को घठारह महीने से तनस्वाह नहीं मिली, काम कैसे कर रहे हो। उन्होंने कहा हम कहां जाएं, हम ने जवानी के धन्द्रह-बीस साल इस में लगा दिये, ग्रब जाएं तो कहां जाएं, लिए इसी में लगे हैं, सरकार कभी तो देखेंगी कि कितने महत्वपूर्ण ग्रंग हैं। में ग्राप के माध्यम से मंत्री महोदय का, सरकार का ध्यान इस ब्रोर ब्राकृष्ट करना चाहंगा ग्रीर चाहंगा कि इन चीओं के बारे में सरकर ध्यान दे सौर उर की जो सर्विस कंडीशन्स हैं उन को मुजारे। उन के साथ जो भ्रन्याय होता है— छोडे पत्रकारों को छोड़ दीजिये, 'समाचार भारते।' ग्रीर 'हिन्दस्तान समा-चार' के लोगों के साथ जो अन्याय हो . रहा है---उस की कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार ढाबे जो का बिल इस लिए स्वीकार न करे क्योंकि वह विरोध पक्ष से ग्राया है, परन्तु मैं सरकार से निवे-दन करना चाहुंगा कि कोई चीज हमारी तरफ में ग्राई है, वह ग्रन्छों है तो उमे स्वीकार करने से उसका यङ्घ्यन बहेगा। हमारे ग्रन्थ मित्र जो कांग्रेस की तरफ मे बोले हैं उन्होंने इस भावना स्वीकार किया है, वह कहते पत्रकारों के सांध ग्रन्याय हो रहा है, उन की कंडीशन ग्रच्छी होनी चाहिए, परना कहते हैं ढाबे जी का बिल नहीं पास होना बाहिए। मैं तो यही कहंगा कि सरकार यह स्वीकार कर ले तो उस का बडप्पन होगा क्योंकि यह बात ठीक

है। लेबर मिनिस्टर बैठे हैं, मैं जानता हं कि वह बहुत ग्रच्छे व्यक्ति है, लेबर 事藝 बारे में उन की लेबर के साथ सहानमति है, वह भी दिल पर हाथ रख कर सोचेंगे तो यही कहने कि पश्चकारों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करना चाहिए। भायद उन की मजबूरियां हों। में यही कहना चाहता है कि सदन की भावना को ध्यान में रखते, हम सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इउ इस को स्वीकार करें। इस में इतना ही कहा गया है कि लेबर कोर्टमें ग्राने की ग्रनुमति दी जाए ।

साथ साथ जो नहीं होता है ग्रीर जो कंपेशन है जैसे इंडस्ट्रियल लेबर को कंपे-सेशन मिलता है उसी प्रकार की ब्रवस्था इन के लिये भी की जाय। इस लिये मैं समझता हं कि इस में संशोधन ग्राना चाहिए कि उन को सर्विस कंडिशनस जो हैं--जसे 'समाचार भारती' के लोगों के साथ ग्रन्याय हो रहा है वह नहीं होना चाहिए और इस लिये उन को सर्सिव कंडिशन्स ठीक की जाय उन के जरनलिस्टों को सुविधाये मिले ग्रौर जो पार्ट टाइम जरनिलस्ट है जो दूर दराज देहातों और जिलों में, कस्बों में रहते हैं, जो गांबों तक फैले हुए है जिन का हाथ सारे ग्रामीण भारत की नब्ज पर है उन के लिये विशेष स्विधाये प्रदान की श्रीर श्रंत में में सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम ने सारे काम करने वालों कों सुविधायें दी है उन का सुविस केटिशन्स मैं मुद्यार किया है चाहे वे पब्लिक सेक्टर हैं हों या प्राइवेट सेक्टर में हों या कोछाप-रेटिभ सेक्टर में हों जिस तरह से उनके लिये सरकार ने अंकुत्र लगा रखा है कि उन को सुविधायें मिलती रहें उसी प्रकार से सरकार से में आग्रह करने। कि सरकार इस की और भी ध्यान दे और

त्रि। प्रथमनो कमार

पहले एवार्ड में जो किमयां रह गयी हैं, उस में जो लोग नहीं ग्रा पाये हैं उन के लिये उचित व्यवस्था की जाय ग्रीर जो छोटे पत्रकार हैं उन को कंडीशन को स्वारने का प्रवास किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं घावे जो के बिल का सम-र्थन करता हं ग्रौर ग्राप के माध्यम से श्रम मंत्रो जो से निवेदन करूंगा कि वे इस को स्वोकार करें और हमारे पत्नकार भाइयों को जिन्दगी के विकास में ग्रीर उत्र को स्वारने में सहबोग प्रदान करें।

डा अमोहम्मद हाशिम किदवई: (उत्तर प्रदेश) : जनाव वाइस-चेयरमैन साहब. ग्रीर ग्रानरेवित मेम्बरान, सब से पहले इस मामले पर दो रायें नहीं हो सकती कि जहां तक हमारी प्रेस का ताल्लक है इस की ग्रहमियत ग्रपनी जगह पर है। हमें फब्र है कि हमारा मल्क दूनिया की सब से बड़ो पालियामेंटरी डिमोकेसी है चौर यह भी सही है कि प्रेस फोर्थ स्टेट है और एक डेमाकेशी को मजबूत करने के श्रौर इस मल्क को ग्रागे बढाने के लिये इस को जरूरत है कि प्रेस पूरे तौर से फ़ी हो। इस सिलसिले में हमारे विका जरन-लिस्ट की जो हालत है वह अपनी जगह पर इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती कि उन के साथ वड़ा जल्म ग्रीर ज्यादती हो रही है। सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उन की सर्विस कंडिशन्स को बेहतर बनाया जाय और इस के लिये ज्यादा से ज्यादा कदम जठाये जायें ग्रौर इसी सिलसिले में ग्रगर यह कहा जाय तो बात गलत नहीं होगी कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भोनोपोली प्रेस का जो रूल है वह कंडम किये जाने के काबिल है। जिस तरह से हमारे प्रेस के बैरन्स अपने इंप्लाईज के साथ वर्ताव करते हैं वह किसी तरह से भो एक डेमोकेसी में सुट नहीं करता। ग्रीर इसी लये मेरा कहना यह है कि पूरी कोणिश होनी Service) & Miscel-228 laneous Provisions (Amdt.) Bill, 1980

चाहिए कि प्रेस बैरन्स की पावस को ग्रौर उन के घपले को खत्म किया जाय और बन्द किया जाय।

जो बिल इस वक्त पेश किया गया है उस के ऐम्स ऐंड ग्राब्जेक्टस से किसी को एक्तिलाफ नहीं है। लेकिन यह कहना जरूरी है कि इस बिल में बहत सी ऐसी चोजें है कि जो ग्रौर होनी चाहिये थी ग्रौर इतमें नहीं लायी गयी हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरत इस बात की है कि एक काप्रेहेंसिय बिल हमारे लेवर मिनिस्टर साहब को तरफ से पेश हो , जिस में प्रेन की ग्रीर वर्तिंग जरनलिस्ट की तमाम प्रावलम्स को सामने रखा जाय। जहांतक लेबर कोर्टकी बात है उस से किसी को एडिनलाफ नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में एक चीज की तरफ मैं ग्राप की तवज्जेह दिलाना चाहता है। हमारे बहुत से विकिंग जरनिलस्ट एसे हैं कि उन के पास इतना पैसा भी नहीं है कि ग्रगर उन के साथ कोई ज्यादती की गयी हो तो वे लेबर कोर्ट के खर्चे को वर्दास्त कर सकें। लिहाजा ऐसा प्राविजन होना चाहिए कि भ्रीर किसी विकिय जरनिलस्ट के साथ ज्यादती हुई है तो . वह भी ग्रयना केस लेबर कोर्ट में ले जा सके। तो मेरे ख्याल में इस किस्म का प्राविजन भी जहर होना चाहिए ग्रौर जहां तक यह सब बातें कही गयी हैं कि जो बर्किंग जरनलिस्टों की वर्किंग कंडिशन ग्रौर सर्विस कंडिशन के बारे में तो इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती कि उन चीजों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उभकी सेवाओं को ग्रीर बेहतर बनाना चाहिए क्योंकि जो लोग प्रैस में काम करते हैं वह असल में नेशनल सर्विस करते हैं। इसलिए हमारा, ग्रापका ग्रीर सबका फर्ज है कि हम उनको पूरी मदद करें।

इन लफ्जों के साथ में समझता हं कि बह बिल जिस मकसद से पेश किया गया है, उससे कोई इक्तलाफ नहीं करेगा

Service) & Miscel-

लेकिन अच्छा हो अगर इस बिल को जादा कांप्रिहेंसिब बनाया जाए। मसलन इन बिल में यह प्राविजन कराया जाए कि जो बिलंग जनंलिस्ट्न हैं उनको से-क्र्यूटिंग अक लाइफ मिने क्योंकि विहंग जनलिस्ट्न को पोजियन यह है कि उनको मिसाल इसने दो जा सकतो है कि वह रोज कुन्नां खोदने हैं और पानी उनको मिलता है, मतलब यह है कि उनको कोई सेन्यूरिटां नहीं है। तो कोंगिम यह होतो चाहिए कि जाको निम्रिटी हो ताकि बह सही ढंग से अना सारा काम अंजाम दे सकें।

†[داکار محمد هاهم قدونی (اتر پرديمر): خاب رائس چير مين صاحب اور آبریبل معهران - سب سے بہلے اس معاملے پر دو رائے نہیں هو سکتیں که جہاں تک هماری پریس کا تعلق ہے اسکی اسیت اللي جگه، پر ۾ - حمين نخر ه که هماوا ملک دنیا کی سب م يوي پارليمنائوي ڏيموکريسي ۾ اور په بهی صحیم هے که پریس فورته استیا ہے ۔ اور دیدوکریسی کو مضبوط کرنے کے لئے اور اس ملک كو أكي بوعاني كيلك اسكي فرورت مي که پریس پورے طور سے فری ھو 🕶 اس سلسلے میں ہماری ووکلگ جرنلسے کی جو حالت ہے وہ ایلی چکا پو اسمیں کوئی دو وائے نہیں هو سكتهن كم المكي ساته بوا ظلم أور زیادتی هو رهی هے - سب سے زیافہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انکی سروس کلدیشنس کو بهتو بنایا جائے اور اسکے لئے زیادہ سے زیادہ

†[]Translation in Arabic script

قدم اتبائے جانبین - اور اسی ملسلے میں اگر یہ کہا جائے تو بات فاط نہیں ہوگی کہ بدقسمتی سے ہمارے مالک میں مونوپلی پریس کا جو رول ہے وہ گندم کئے جانے کے تابل ہے ۔ جسطرے سے ہمارے پیس کے بیرس اپ امپائز کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں وہ کسی طرح سے بوی کرتے ہیں وہ کسی طرح سے بوی کرتا - اور اسی لئے میرا کہنا یہ ہے کرتا - اور اسی لئے میرا کہنا یہ ہے کرتا - اور اسی لئے میرا کہنا یہ ہے کرتا - اور اسی لئے میرا کہنا یہ ہے کہنے کہیں کو گری ہوری کوشش ہوئی چاھئے ۔ کہ پریس بیرنس کی پاورس کو اور انکے کہیلے کو ختم کیا جائے -

جو بل اس وقت پیش کیا ایا ہے احکے ایمس ایلڈ اوبحوبکاتے سے کسی کو اختلاف نہیں ہے - لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ اس بل میں بہت سی چیزیں ایسی هیں که جو ارر هونی چاهئیں - اور اس میں نہیں لائی گئی هیں۔ مهرے خیال میں زیادہ فرورت اس بات کی ہے که ایک کا سپریهینسیو بل همارے لیبر ملستر صاحب کی طرف سے یعمی هو جسمهن پريس کي اور ورکلگ چرنلس<mark>تس کی تبام پراہلیس کو</mark> ساملے رکھا جائے - جہانتک لیمو کورٹ کی بات ہے اس سے کسی کو اختلاف نهون هے - لهكن اس سلسله مهن ایک چیز کی طرف میں آیکی توجه دلاما چاهتا هون - همارے بهت سے ورکلگ جرناسیس مهں که انکے .ti 26 ...t ... r ... 1171 .t. paper Employees Conditions 0/

[داكار محدد هاشم قدوائي] انکے ساتہ کوئی زیادتی کی کئی هو دو ولا اله در کورے کے خرجے کو بوداشت كر سكين - لهذا ايسا پراريزن هونا چاهی که اگر کسی ورکنگ جرنلست کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی اینا کیس ایبر کورے میں لے جا سكي - تو ميرے خوال ميو اس قسم کا پراویزن بوی ضرور هونا جاها اور جہاں تک یہ سب ہاتھی کھی گئے ھیں کے جو ووک**نگ** جونلسٹوں کی ورکفاک کلڈیشن اور سریس کلڈیشن کے ہاریہ میں تو اسمون کرئے دو رائے نہیں هو سکتیں که ان چهزوں کو درست کیا جانا چاھئے۔ انکی سیواؤں کو اور بھتر بنانا چاہئے۔ کھونکھ جو لوگ پریس میں کام کرتے هين ولا أصل سهي تهفلل سروس كوت هين اسائم همارا أيك اور سبك فرقس سے کہ ہم انکی پیرری صدید کریں ۔

ان الفاظوں کے ساتھ سیس سمجھٹا ھوں کہ یہ بل جس مقصد سے پیش کیا گہا ہے اس سے کوئی اختلاف نهين كريمًا - ليكن لهذا هو اگر اس بل کو اور زیاده کامهریههسیو بنایا جائے - مثلاً اس بل مهی یه پراویزن کرایا جائے که جو ررکنگ جرناست هين انكو سيكزوريالي آف لائف ملے کھونکہ ورکلگ جونلسائس کی پوزیشن یه د که انکی مثال اس سے دیجا سکتی ہے که وہ روز کنوان کهودتے هیں اور دانے انکه ملتأ

Service) & Miscellaneous Provisions (Amdt.) Bill, 1980

ھے مطلب یہ ھے کہ انکو کوئی سيکيورٿي نہيں ہے تو کوشھن په ھوئے چاہئے کہ انکی سہکھوریٹی هو تاکه ولا صحیم دهنگ سے اینا سارا کام انجام دے سکیں -

श्री हक्मदेव नारायण यादव विहार : उपसभाध्यक्ष महोदय, धाबे जी ने जो विधेयक पेश किया है वह जिस रूप में है उसका मैं भी समर्थन करता है। ग्रीर भी कई माननीय सदस्यों ने उस पर ग्रपनी राय रखी है कि इस विधेयक का स्वरुप ग्रीर व्यापक होना चाहिए । तो ग्रच्छा तो यह होता कि सरकार की ग्रोर से यदि यह स्नाश्वासन उन्हें दे दिया जाता कि सरकार ही कोई व्यापक विधेयक इस सम्बन्ध में लायेगी तो माननीय सदस्य इसको वापस ले लेते तो कोई हर्जा नहीं होता । लेकिन सरकार के जरिये यह कहा जाएगा कि सरकार इस पर सोचेगी ग्रीर ग्रच्छे ढंग से सोच-समझकर कोई व्यापक विधेयक लायेगी, सरकार पत्रकारों की कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में कदम उठायेगी।

श्रीमन, ग्रमी ग्रश्विनी कुमार जी बोल रहे थे उन्होंने 'समाचार भारती' का जिक किया । हम लोग इस मामले को उठाते रहे, लेकिन इस बात से भी दुख हुआ कि हिन्द्स्तान में न केवल हिन्दी बल्कि हिन्द्स्तानी भाषाश्रों में जितनी ऐजेन्सियां हैं या समाचारपत्र हैं, उनको चलाने वाले हैं, उनकी काफी दुर्गति होती रहती है और श्रंग्रेजी भाषा में जो समाचारपत्र चलते हैं, उनकी समाचार ऐजेन्सियां चलती हैं. उनको मान लिया जाता है कि ये ग्रंत-र्राष्ट्रीय भाषा के ज्ञान के समद्र हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा को ज्ञान का भंडार और श्रंतर्राष्टीय भाषा, संपर्क भाषा मान लिये जाने के कारण उनके ऊपर सरकार ज्यादा

Jour- [ : nalists & other Newspaper Employees (Condition of

ध्यान रखती है। ग्राँर भी कई तरह की सुविधार्ये उनको दी जाती हैं। लेकिन हिन्दुस्तान की जो हिन्दुस्तानी भाषायें हैं, इस देश की राष्ट्रभाषा, हिन्दी है ग्रीर बहुत बड़े इलाके की मातृ भाषा भी है, राष्ट्रभाषा राज-भाषा चाहे जो भाषा कहिए, सब भाषा के रूप में इसके लिए जो विकास किया जाना चाहिए, इसके पत्रकारों को ज्यादा से ज्यादा सुवि-धार्यें दी जायें, इन बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता।

श्रीमन्, गांवों में जो पत्रकार लोग हैं, जो वहां से समाचार भेजने का काम करते हैं, जो गांवों में लगे हुए हैं, वहां भी उन लोगों के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता । वर्षा ग्रच्छे से ग्रच्छे पढे-लिखे लोग. जानकार लोगों को रखना चाहिए और जब उनको ग्रधिक सुविधायें मिलेंगी तो ग्रच्छे लोग वहां रहेंगे। ग्रगर मुविधा नहीं मिलेगी ग्रौर उनकी सेवायें ठीक ढंग से नहीं चलाई जायेंगी तो उनको भी यही माना जाएगा कि ये भी कोई ब्रादमी लोग हैं, ऐसा ब्रगर मान लिया जाता है तो वे गलत ढंग से काम करने लगते हैं या ग्रपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते. या उनमें ऐसे लोग भी चले आते हैं जिनको पवकारिता का ज्ञान नहीं। जहां पत्रकारिता से देश बनता है वहां कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मनोरंजन का साधन होती हैं, ऐसे पत्रकार होते हैं जो मनोरंजक होते हैं, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं होता । श्रीमन, कल एक सज्जन मुझे पढ़ा रहे थे मेरे फ्लेट में।

श्रीमन्, इस का नाम युवा सन्देश है या युवक सन्देश है, पता नहीं क्या सही नाम है, लेकिन मैंने देखाँ कि उसमें लोकदन के बारे में जो कुछ लिया है उस लिखने वाले ने, प्रेस वाले ने उसमें लिखा है कि लोकदल में राज्य सभा के नेता के पद पर श्रो श्याम नन्दन मिश्र जी थे श्रौर उनको चुनाव में राज्य सभा का को छोड़कर चले गए । में देखता है जिनको पत्रकारिता का ज्ञान नही. वह लिखते हैं कि श्याम नन्दन मिश्र जी लोकदल के राज्य सभा के सदस्य वे । राज्य सभा में तो वह कभी नहीं स्राये। 1977 में वह लोक सभा के सदस्य थे। उसके बाद वह राज्य सभा में कभी भी नहीं ग्राए । तो ऐसे लोग जो चलें ग्राते हैं, जिनको इतना भी ज्ञान नही रहता कि पंडित स्थाम नन्दन मिश्र जैसे म्रादमी को लिख देते हैं कि वे लोक दल के राज्य सभा के नेता थे । यह भी उना पता नहीं । मैं इसलिए इन बातों हो उठाता हं क्योंकि जब सविधाएं ग्रन्छी नहीं हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं ग्रन्छी नहीं हैं तो अच्छे जानकार लोग, अच्छे प्रशिक्षित लोग इस दिशा में आते नहीं हैं। मझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों को प्रखबार चलाने वाले मालिक लोग रख लेते हैं जैसे मजदूरों को तनख्वाह दी जाती है, उसी तरह से रख लेते हैं जिससे जो चाहे वह करवा लेते हैं। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिये । ठीक बात है स्वतंत्र विचार आने चाहिकों ग्रीर ग्रखबारों के माध्यम से स्वतंत्र विचार बाते हैं। लोकतंत्र में सत्य कहने का ही लोगों को अधिकार नहीं है बल्कि लोगों को झठ बोलने का भी उतना ही ग्रधिकार है जितना की सत्य बोलने का । लोकतंत्र में जब सत्य बोलने का श्रधिकार स्वीकारा गया है तो असत्य भी वह बोल सकता है और उतनी हो ताकत के साथ बोल सकता है जितना ताकत के साथ वह सत्य बोल सकता है। लोगों का काम है सत्य ग्रौर ग्रसत्य को जानें। लोगों को लोक-तंत्र में ग्रसत्य कहने से रोका नहीं जा सकता। कई ग्रखबार वाले किसी के ऊपर असत्य ही अरोप लगाते हैं। उनका काम है उसको सत्य सिद्ध करें, फिर घबराना नहीं चाहिये । ज्यादातर लोग धवराते हैं इसमें। मेरी यह प्रार्थना है नि

(Amdt.) Bill, 1980

[ श्री हम्मदेव नारायण यादव ]

धाबे साहब ने जो श्रपने विचार रखे हैं इस के माध्यम से सरकार या तो इसी रूप में मान ले एगर नहीं मानतों तो सरकार ऐसा कोई रास्ता निहाने जिलने इससे भी ब्यापक रूप जाता हो जाए । इसे अपने नियंत्रण में न रखे। सहनारो नियंत्रण में जितना दबा कर रखेंगे उतने हो निचार खंडित होते हैं, विवार धाराएं मरतो हैं। सरकारो नियंत्रण से उन्हें मुक्त रखना चाहिये छदानतों में जाते का जहां हर नागरिक को सौलिक ग्रधिकार प्राप्त है वहां इन्हें भी खदानतों में जाने का हक है। हर मजदुर अक्षान्त में जा सकता है फिर इनको रोक कर रखना कोई उचित नहीं लगता । यह मौलिक ग्रधिकार के निपरोत है। आन उनको सारे श्रधिकार दीजिए। आप इस पर सम्भोरता से विचारको निए और धाबे साहब के विश्लेयक को मान लेने में ज्ञापकी कोई ग्रापत्ति नहीं होने। चाहिये । अगर आप इससे बढिया छोर इतते व्यापक विधेयक लाना बाहते हैं आर लाइये, धाबे साहब इसको वापस लेलेंगे। इसकी प्रतीक्षा हम लोग करेंगे कि पत्रकारों की कोई ग्रच्छो सुविधा मिलेगी आपके रहते, पाटिल साहब के रहते इनको कुछ मित्र जायका जि तसे आपका यश बना रहेगा और इन गरीबों का भना होगा । 'समाचार भारती' जो 'हिन्दो सनाचार एजेंसी है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। क्योंकि हम लोग हिन्दी हो बोलते हैं, अंग्रेजी हम पढ़ते नहीं हैं। मोटे मोटे हरफों में दनियां के अखबार छनते हैं लॉकन वह हमारे लिये काला श्रक्षर भैंस बराबर है। भैंस जो दूध देती है वह भी मोटे अक्षरों में अंग्रेजी में हो रहता है हम उनको लेकर क्या करेंगे। वह किस काम के रहते हैं ; हम जिस भाषा में पढ़ते हैं, जिस lहन्द्स्तानो भाषा में, जुबान में बोलते हैं उन्हीं जुबान में अखबार निकलने चाहियें

ग्रीर इनको ग्रोर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं धाबे जो के इत विधेयक का समर्थन करता है।

श्री विट्ठलराव माधवराव (महाराष्ट्र) : उपनभाष्यक महोदय, रें मराठों में बोलंका।

श्री हक्मदेव नारायण यादवः बोजिये।

थी विर्ठलराव माधवराव नाधव : ग्राप कहें तो मैं हिन्दी में बोलं।

क्छ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं द्याप मराठी में बोलिये।

SHRI VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV"

उपसभाष्यक्ष जी, उप विश्वेयक के बारे में में कुछ ग्रपने विचार रखंगा । मेरे मिला. श्रो द्याबे साहब ने जो विधेशक पैश किया है वह महत्वपूर्ण विधे रक है । लेकिन सरकार इन विधेशक को स्वोकार नहीं कर सकतो । मझे ऐनालगताहै कि जो हिन्दी समझते हैं वे मराठो भी समझ सकोंगे। इसलिए पिछले दो सान मैं सोब रहा था कि कभी मराठो में बोलंगा। ग्रखबार लोक शिक्षा का बडा प्रभावशाली साधन हैं । समाजशास्त्र ग्रीर विज्ञान का ग्रध्ययन मैंने मराठी में किया है । इसलिए धाज में मराठी में बोलना उवित समझता हं। उपसभाष्यक्ष जो, ग्रखबारों का व्यवसाय जित्रना महत्वपूर्ण है उत्तना ही मुक्किल भी है। क्योंकि ग्रापको मालुम होगा कि इतिहास में या दूसरे विश्वयद्ध के समय ग्रडाल्फ हिट तर ने एक बार कहा थाकि:

मैं एक हवार तोपों से नहीं उरता लेकिन अखबारों से मुझे डर लगता है। क्योंकि ग्रखवारों पर एक जिम्मेदारी होतो है। अखबारों पर नैतिक

<sup>\*</sup>Original Speech in Marathi

APRIL.

[2.7]

237

(Amdt.) Bill, 1980

जिम्मेदारो भी होती हैं इस देश को संस् ति जिस तरह से प्रगति करेगी इन देश के लोकतन्त्रको इन देश के भविष्य को बनाने को, शिक्षा देने को जिम्मेदारो ग्रजवारों की होगी। लेकिन यह सब होते हए भी इप व्यवसाय में काम करते वाले जो लोग हैं जो कर्मचारी हैं उनको हा तत बहुत खराब है। कुछ बड़े ग्रखवारों को बात छोड़ दें क्योंकि मैं बड़े ग्रखबारों के बारे में नहीं बोबना चाहता । उनकी पत्रकार दो तीन हकार तक वैतन लेते हैं। लेकिन ऐसे भी ग्रखबार हैं जो 50-60 या सौ रूपये से ज्यादा वेतन नही देते हैं ग्रीर उनको दिन में कम से कम समाचार भेजना पडता है। मेरे जिले में 10 से 15 दैनिक ग्रंखवार हैं जिनका सरकुलेशन तोन चार हनार प्रतियों से भी कम है। ऐसे अबबारों के प्रेस में काम करने वालें जो लोग हैं उनको इक्कनामिक कंडोशन बहत विकट हैं। ग्रोर में ऐना कहंगा कि इस देश की स्वतंत्रता के इतिहास में इन ग्रखबारों ने बहुत हो महत्वपूर्ण काम किया है। हमारे देश में तोन तरह ग्रखबार हैं। पहली किस्म के वे हैं जो पंजीपतियों के ग्रखबार हैं । ये पैसे वालों के अखबार अपना व्यवसाय करने के लिए इन ग्रखबारों का करते हैं। ''इंडियन एक्सप्रैंस'' की लाख कापीज देश में डेली बेचो जाती हैं। वे जिस तरह का विवार इस देश में पहुंचाना चाहते हैं वे उस तरह ग्रपने विचार ब्यक्त करते हैं यह नहीं कहता कि उन ग्रखवारों संपादक भी उसी विचार के हैं। लेकिन बेचारे पेट के लिए वहां काम करते ग्रीर इच्छा न होते हुए भी उन्हें दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का काम करना पडता है। ग्रीर दसरे प्रकार के जो ग्रखबार हैं उनको येलो जर्नालि<sub>उम</sub> , कहा जाता है । समाज में सेक्स की

जो प्रवृत्तियां हैं उनको उभारन काकाम ये अवदार करते हैं। डिटेक्टिन स्टोरोज छ । ते **डिनके** कारण समाज को मानसिक विगडतो हैं।

उपसमाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ बातें हिन्दी में कहना चाहता हं। ऐसे विविध प्रकार के वृत्त-पत्र हमारे पास मौजद हैं। वत्त-पत्नों पर बहत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज को कैसे बदला जाय, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मगर आप पिछले 25-30 सालों के वृत्त-पत्नों को देखें ग्रीर यह देखें कि वे कैसे काम कर रहे हैं तो पता चलेगा कि जो लोग ग्रच्छा काम करते हैं उनको पब्लि-सिटी नहीं देते हैं, लेकिन ग्रगर किसी म्रादमी से गलती हो जाती है या कोई गलत काम हो जाता है तो उसको इतने बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि देते हैं कि वह खत्म हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बुरी प्रवृत्ति का समर्थन करता हं। मगर जो ग्रच्छे काम हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

मुझे ग्राज एक बात याद ग्राती है। सन 1962 में मैं पुना में था तो वहां पर ग्राचार्य फ़ुपलानी जी का भाषण हम्रा। उस बक्त वे हमारे विरोध में थे। उन्होंने कहा कि ग्रगर कोई ग्रादमी थोडा-सा बरा काम करता है तो उसको बड़ी प्रसिद्धि दी जाती है। लेकिन ग्रगर कोई ग्रादमी कोई ग्रच्छा काम करता है या कोई ग्रच्छी बात बताता है तो उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की हमारे वृत्त-पत्नों की नीति चल रही है। मैं समझता हूं कि ग्रगर हमारे वृत्त-पत्न इम्पार्शियल होकर न्यूज देना शरू करेंगे तो अच्छे लोग उनका समर्थन करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्राज में जब इस चर्चा में हिस्सा ले रहा हं तो यह जरूर कहना चाहता हं कि मैं ग्राज तक ग्रपनी जिन्दगी में बचपन से ही लेफिटस्ट थिकिंग का रहा है। (Conditions of

239

(Amdt.) Bill, 1980

### [अः बिठ्ऽलराव माधवराव जाधव]

मैं चाहता हं कि इस देश में समाजवाद स्नाना चाहिये और ग्राज भी इसी प्रवृत्ति का हं. . . (eqaधान)। मराठी में बोलने में यहां पर कुछ डिफिक्लटीज हैं, इसलिये हिन्दी में बोज रहा है। मैं यह चाहता है कि वृत्त-पत्नों में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रार्थिक ग्रीर नामाजिक न्याय मिलना चाहिये और उसी के धनसार जो वृत्त-पत्नों का दर्जा है और जो उनका स्टेन्डई होना चाहिए वह बनाया जाना चाहिए क्योंकि ग्राज कल के वृत्त-पत्नों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत हुद तक उनमें श्रो फोर्थ मैटिरियल एडवर्टाइजभेट का होता है। उनमें न्यज बहुत कम होते हैं। हमारे देश के लोगों को जो न्यज मिलने चाहिए वे उनमें बहुत कम होते हैं। बहुत से बृत्त-पत्न कामिशयल वृति के होते है वे किसा दबाव में या किसी राजन तिक दबाव में ग्रपने प्रवृति लगाते हैं जिससे उनको एडवटडिजमेंट्स मिल सके । इस तरह से ये वृत्त-पत्न मजा करते हैं । यत्त-पत्नों का जो पवित कर्तव्य है उससे विमुख रहते हैं। ग्रापको जानकर ग्राष्ट्रचर्य होगा कि हमारो नई पंडा में बहुत से लोग ऐसे हैं - जिनको मालम नहीं है कि महात्मा गांधी कीन थे ? जब गांधो पिक्चर द्याई, उसको देखने के बाद बहुत से बच्चों ने पूछा कि क्या गांधा जो इतने बड़े ग्रादमा थे । ग्राप और हम तो अप्रजादी मिलते वक्त स्कूल में पढ़ते थे. हमें मालुम है । लेकिनै हमारे जो बृत्त-पत्र हैं जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें इतना दोष है कि जो देश के प्रभावो नेता है, महान व्यक्ति है उनसे भी यह पच्चों को अच्छा तरह से परिचित नहीं कराते । यह इन्हें करना चाहिए और साथ ही साथ हमारे देश में शिक्षा, आधुनिक शिक्षा अंतर अच्छे विचारी का प्रचार इन वृत्त-पर्त्तों के माध्यम से होना

चाहिए । साथ ही साहित्य, कला, मास्व राजकरण, नैतिकता इसका भी अच्छी तरह से प्रकार वृत्त-पत्नों के जरिये होना चाहिए । श्रोमन् मैं इस बिल का समर्थन तो नहीं कर सकता मगर मैं श्रम मंत्रो जी से विनतों करूंगा कि आगे चलकर वे ऐसा कोई बिल लायें जिसमें जो धाबे साहब के अच्छे प्याइंट्स हैं उनमें कुछ ग्रार ग्रच्छे प्याइंट्स मिलाकर एक अच्छा बिल लायें ताक वृत्त-पत्नों के प्रतिनिधियों को त्याय दिया जा सके ।

थी गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और कश्मार) : आप इसको क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : क्योंकि यह इन्कम्पलेट विल है।

**श्री गुलाम रसूल भट्ट** : बांडेड लेबर हैं ग्राप ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव: वांडेड लेवर श्राप हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ग्रांर हम पर इस्जाम लगाते हैं । वांडेड लेवर का समर्थन तो ग्राप करते हैं । हम तो चाहते हैं कि उनको ग्राधिक लाभ मिले ग्रांप उसमें कोई क्काधट न हो ।

इसलिये में चाहता हूं कि इस बिल को वापस लिया जाय । इसके जो धच्छे प्वाइंट्स है उनको दूसरे बिल में लाया जाय । इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन नहीं कर सकता और मैं धाबे साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इसको वापस लें । आपने मुझे बोलने का मांका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

भी धर्मचन्द्र प्रशान्त (जम्मू ग्रौर काश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, धावे 241

(Amdt.) Bill, 1980

Conditions of साहब ने सदन में जोविधेयक रखा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता है। पत्र-कारिता का व्यवसाय यह भारत में ही नहीं सारे विश्व में एक पवित्र धौर स्वतंत्र व्यवसाय समझा जाता है और इस व्यवसाय में वडे-बडे लोगों ने काम किया है। महात्मा गांधो 'इस्जिन सेवक' निकालते थे वह भी पतकार थे। पंडित मदन मोहन मालवीय भी पत्रकार थे। इसी प्रकार से श्री कमलापति विपाठी जो ने भी पत्रकारिता की है । तो ग्रादशी पत्रकारिता में इसलिये क्योंकि यह व्यवसाय बहुत हो स्वतंत्र ग्रौर पवित्र समझा जाता था । परःत बहत थोड़े से लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय के ग्रन्दर कौन-कौन सी ग्रहचने हैं ग्रीर कीत-कीत सी हकावटें हैं। मैं भीएक पत्रकार है। मुझे पता है कि पतकार स्वतंत्र होना चाहता है, वह लिखना चाहता है स्वतंत्रता से । परन्त इनके ऊपर दो दबाब रहते हैं, एक तो उसके मालिक का और दूसरा सरकार का जो कि बार-बारं उसकी स्वतंत्रताका हननं करते हैं। उसको बड़े-बड़े खतरनाक कामों में भेजा जाता है और भादेश दिया जाता है कि इस तरह काम करना, इस तरह काम करना और वह भी बिना खर्चे के । वह उसके लिये ग्राफ्त होती है। तो इस प्रकार इस व्यवसाय के भ्रन्दर जो रुकावटें हैं वह पत्रकार ही जानते हैं, दूसरा ग्रादमी नहीं जानता । मेरा बडे-बडे विदेशी पत्रकारों से सम्पर्क रहा है । हमारे जम्म और काश्वीर में एक नहीं चार बार यद्व हुए । वहां बाहर से पत्रकार द्याते थे ग्रीर जब हम उनकी सर्विस कंडीशंस देखते थे तो हमें हैरानी होती थी और सोचते थे कि कितने जन्म-जन्मान्तरों के बाद मुविद्यार्थे मिल सर्केंगी । इस प्रकार की मुविधार्थे ग्राने पत्रकारों को उपलब्ध नहीं हैं। पत्नकारों को यद्ध भिम में भेजा जाता

सर पर रहती है, गोली सर के ऊपें रहती है, बम फटते रहते हैं परन्त बहां से बापस अने पर उनको क्या दिया जाता है ? कुछ नहीं। हमारे फीज के ब्रादमी जो युद्ध भूमि में जाते हैं और वापस ग्राते हैं। ग्रज़र कोई मर जाता है तो उसके परिवार को सब कुछ मिलता है लेकिन पत्रकारों को कुछ नहीं मिलता। अगर वे बहां मर जाते हैं तो उनकान।म भी खत्म हो जाता है । पत्नकारों को ग्रीर भी कई संकटों से गुजरना पडता है। बडी-बडी भवानक परिस्थितियों में काम करने पड़ते हैं, यदि उनसे कोई भूल हो जाए तो उसके सिर पर चावक पडता है। यदि गवनंमेंट के खिलाफ कुछ लिख दे तो भी उसके सिर पर चाबुक पड़ता है। उनको इतनो विकट परिस्थितियों में काम करना पड़ता है यह हम लोग जानते हैं ग्रौर सरकार भी जानती है। लेकिन ब्राज हम यह देख रहे हैं कि वह सरकार या जो मालिक हैं उन पत्रकारों का जिनको हम रिपोर्टर कहते हैं क्या उनका सम्मान करती है ? क्या उनको मुग्राबजा देती है ? नहीं देती है । मिसाल के तौर पर में आप के सामने दो तीन बातें रखंगा । उनको बडे-बड़े बलिदान भी करने पड़ते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता है। कराची की बात है 1930 में वहां से एक दैनिक निकलता था । वहां पर पंडित जवाहर-लाल नेहरू भ्राए । इस पत का मालिक था वह ब्रिटिश सरकार का क्रपना घादमी था । उसने उस पत्र के को और रिपोर्टर को कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण होंगे वह ग्रगर तम छापोगे तो उसका परिणाम तुम्हे भगतान पहेगा क्योंकि मैं सरकार का धादमी है। उसने पहला काम यह किया कि प्रातःकाल जब पेपर निकला उसमें पंडिस जी का [क्षा धर्म चन्द्र प्रशान्त]

परिणाम यह हुन्ना कि मालिकों नेपेपर के सम्पादक की, रिपोर्टर की तनस्वाह काट ली और दूसरे दिन धमकी दी गई कि कल भी लिखा तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी । लेकिन ग्रगले दिन सम्पादक ने ग्रीर रिपोर्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का सारा क. सारा भाषण छाप दिया जिसका नतीजा यह हमा कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया । उस सम्पादक का नाम था पनिया दिन पंडित जी ने कराची में भाषण दिया उस में उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार के संवाददाता और सम्पादक हमारे देश में पैदा हो गये हैं तोयह समझना चाहिये कि आजादी हमारे खटखटा रही है । इसी प्रकार ग्राज भी पत्रकारों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । बार बार यह चिल्लाते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। सरकार ने कुछ किया है। पहले उन्होंने वेज एक्ट पास किया परन्तु उसमें भी बहुत से लुपहोल्ज थे। उसके बाद जीनिलिस्ट्स एक्ट पास किया उसमें भी लपहोल्ज थे । उनको पुरा लाभ नहीं पहुंचा ग्रीर फिर पालेकर भ्रवार्ड हुम्रा लेकिन पालेकर ग्रवार्ड के बाद भी सारेपत्रकारों को लाभ नहीं पहुंचा है । कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको इससे लाभ पहुंचता है परन्तु बहुत से मालिक ऐसे हैं उन्होंने कुछ पत्रकारों को लाभ दिया है और कुछ को नहीं दिया है। जसे मेरे मित्रों ने कहा कि यह दो प्रकार के हैं। एक तो स्टाफर हैं और दूसरे पार्ट टाइम हैं ग्रापको बतलाना चाहता हुं। जो स्ट्रिंगर्ज हैं उनको कुछ रुपयों के लिए रख लिया जाता है जैसे किसी को दो सी रुपये किसी को तीन सौ रुपये या किसी को चार सौ रुपये दिये जाते

(Amdt.) Bill, 1980

SHRI SANKAR PRASAD MITRA हैं। उनक इस ग्रमाऊंट में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की जाती है । 10,15,20 साल तक वे काम करते हैं ग्रौर न उनको कोई ग्रेच्युट: मिलती है ग्रीर न पेंशन मिलती है। काम उतना ही लिया जितना स्टापर्ज जाता है । इसलिए स्ट्रिगर्ज को ज्यादा सपफर करना पड़ता है । मेरी यह प्रार्थना है जैसे कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है उनको भी सब सुविधाएं वही दी जाएं और उनको भी लाभ पहुंचाया जाए जो स्टापर्ज को मिलती हैं । इस प्रोफ्शान की फोर्थ इस्टेट कहा जाता है। पहली इस्टेट है हाउस भाफ लाईज दूसरी है हाउस ग्राफ कामन्स ग्रीर उसके बाद ग्राता है कलर्जी परन्तु हमारे देश में यह नहीं है। हमारे देश में यदि पत्रकारिता के स्तर को ऊंचा करना है तो पत्रकारों के स्तर को भी हम ऊंचाकरें। इनको भी वही सुविधाएं दें जो कम से कम विदेशों में पत्रकारों को मिलती हैं। वहां पर यह सुविधाए नहीं है । धावे साहब का जो बिल है मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हं ग्रीर मैं कहूंगा कि यदि पास न हुआ। तो यह बड़ा भारी ग्रपराध होगा ।

It will be great injustice to the Press if it is not passed. I request my friends to give passage to this Bill.

इस में कोई कमी है तो उसके बाद भी ग्रा सकता है । जैसे विकंग जर्नीलस्ट एक्ट ग्राया, पालेकर ग्रवाई ग्राया, उसके बाद भी ग्रा सकते हैं । परन्तु इसको ग्राप जरूर पास कीजिए ।

(West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, [am grateful to you for this opportunity given to me at the last moment to speak a few words on this important measure brought before the House by my esteemed friend MT. Didabe. Sir, it is well known

in jurisprudence that wherever there is a right, there must be a remedy. The Working Journalist Act which is sought to be amended by this Biil was passed as early as 1955. It is high time that this Act is given a second look by the .abour department of toe Government ol" India. The position, as it stands now-I am referring to the subject matter of dispute —is indeed rather incongruous. A person having grievance or seeking a remedy has to go to the Government first. Government—1 mean, the Government's Labour Officer-considers the matter and initiates a process of conciliation. Whet' conciliation fails, it is entirely up to the Governmeat either to refer or not to refer the dispute to an industrial tribunal, which means that if the Government chooses not to refer the dispute to any tribunal, the person aggrieved, particularly if he is poor, is without any remedy. This is a situation which the honourable the Labour Minister would be consider. simpathetically, pleaped to especially in view of the fact (a) that t'ne National Labour Commission has aheady made a recommendation to this effect: and (b) that three Stales in Ind'a, viz., the States of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh have already adopted Iheir own legislations giving rights to the working journalists to go to industrial tribunals, if need be.

Sir, some hon. Members have been good enough \(^\) state that his is not a comprehensive Bill, the Bill has certain defects, certain lacunae, which have to be looked into, Carefully considered, and thereafter an appropriate legislation might be brought. The honourable the Labour Minister 'nas yet to reply. T do not know whether that is the view of the honourable the Labour Minister as well. If that is the view of the honourable the I abour Minister, I can quote any number of precedents of the Indian Parliament to show that legislations initiated by privat Members were subsequently adopted by the Government itsell. There have been instances where private Membsrs have persisted with particular pieces of legislation ultimately succeeded in persuading the Government to come forward Wth appropriate legislative measures. The Dowry Prohibition Bill, 1952, the Prevenlion of Cruelty to Animals Bill, 1953 the Prize Competitions Bill, 1953, the Motor Transport Workers Bill, 1955, the Hindu Adoption, and Maintenance Bill, 1955, the Beedi and Cigar Workers (Coni ditions of Employment) Bill, 1957, the Companies (Amendment.) Bill, 1957 (amendment to Section 293 to ban donations by companies to political parties), th, Arms Bill, 1957, the Representation ol' People (Amendment) Bill, 1958 wee measures w'nich were first initiated by private Members in one of the Houses and later led to Government legislation on those subjects. If the hon. Minisler thinks that this particular Bill should be Further considered in order that Ihe Government may bring its own legislation as soon as possible on the same subject, I shall personally consider that the hon Labour Minister is doing justice to the c.Mise.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL): Mr. Vice-Chaiim in, Sir, my esteemed friend, hon. Mr. Dhabe, has brought this Bill for a limited purpose. Sir. the purpose, as he has already explained, is to give a right to working journalists and all the newspaper employees to approach the labour courts with their individual disputes directly.

Sir, w'nile participating in the debate, several hon. Members discussed about the service conditions of the working journalists, part-time correspondents, implementation of the Palekar Award and other connected matters. Sir, strictly, these matters are not relevant ie the Bill whih is under consideration. But, since the hon. Members have mentoned them in the course of the discussion, the debate, on the Bill, I feel that it is better to give whatever information T have been able to collect with regard 'o the points that they have raised.

Service' &, Miscel- 248 laneous Provisiona (Amdt.) Bill, 1980

[Shri Veerendra Patil]

Sir, so far as securing the implementation of the Palekar Awaid is concerned, the appropriate Government is the State Government. Although the Government has approved, has accepted, the Palekar Award, implementation and overseeing the implementation of the Palekar Awaid is, the direct responsibility of the State Government. Sir, according to the information thai I have been able to collect from different States in oin country there are in all 1,820 newspapers. Sir, tht' position in respect of implementation of Palekar Award is as follows:

Conditions of

Newspapers who have implemented NOs. in frill . . . . . . . . . . . 580

Newspapers who have implemented in part ...

Newspapers who 'nave not implemen ted .... 125

Some newspapers are already paying higher wages than whatever is sugges'ed in the Palekar Award

their number is II. And paying as per miitn'al agreement—5 newspaper-'. Some cases are in the court. The inanagemen! have gone to the court. Their number is 30. Out of purview 802 newspapers, The newspaper managements which hav been closed alter the Palekar Award came into force, they are 235. Sir, this is tho position in regard to the implementation of Palek'ar Award. Sir, 1 entirely agre; with ihe hon. Members although imple-' ' mentation or securing tho implementation of the Palekar Award is the responsibility of the State Government, bul Government of Tndia is equally concerned, equally anxious to see that the Pale-kai Award is implemented in full and in toto.

Sir. the 'non. Members may be aware that at our level as well as Jt the Central Governmeat level a tripartite committee has been set up under my Chairmanship to review the implementation of the Palekar Award. Similarly, we have 'asked all the Stale Governments to set up som; tripartite committees to review the imple-

mentation of the Palekar Award. So, I want to assure the hon. Members thai Government of India is fully committed to the implementation of t'ne Palekar Award. We are getting periodical reports and wherever we feel that Palekar Award^ is not being implemented we are reminding those State Governments to tate appropriate action to ensure proper implementation of the award.

Sir, some hon. Members referred to part-time correspondents. So far as part-time correspondents arc concerned, in order to safeguard the inteiest of the part-time correspondents Section 2(f) of the Working Journalists Act was amended to redefine involving Journalists and now includes making Journalists and part-time Journalists whose principal avocation is that of a Journalist. Then, some hon. Members referred to that part-lime cot-respondents are being retrenched. Their services are heing terminated and being subject to lot of harrassment. Sir, in order to protect the interests of the working Journalists from retrenchment, be- the Palekar Award recommendation, hon. Members are aware that we have recently amended the Act i 1981, making Section 16A read as follows:

"No employer in relation to a newspaper establishment shall, by reason of his liability for payment of wages to newspaper employees at the rates specified in an order the Central Government under section 12, or undei section 12 read with section I3AA or section 13DO, dismiss, discharge or retrench any newspape'-employee."

So. totally dismissal, retrenchment or discharge of the employees ha; been prohibited by amending this 5 p.M. Act. So this is how the Government has tried to safeguard the interests of the working journalists and all the employees who are working in the newspaper industry.

Sir, die hon. Member, Mr. Dhabe, j, aware Of me fact that the newspaper industry and those who are working in this industry, whether they are working (Conditions of

(Amdt.) Bill, 1980

other employees of the newspaper industry, come under the State sphere. That means, so far as the grievances oi" dis-putes of the workers Working in the newspaper industry are concerned, the appropriate Government is the State Government. It is not the Central Government. The State appropriate Government Government is the because the newspaper indus -tiy cornes under the State sphere. Sir, as the hon. Member, Mr has himself Dhabe. admitted. working journalists, non-working journalists and all employees working in the newspaper industry are covered by the Industrial- Disputes Act. The ID Act is applicable to them. So far as their disputes or grievances are concerned, they come under t'ne purview of the Industrial Disputes Act. Sir, under Hie Industrial Disputes Act, the procedure is laid down for resolving a dispute. If there is a dispute, if there is a grievance, then the worker can raise an industrial dispute 'and the Conciliation Officer, who is a Labour Officer, conciliates, and if unfortunately the conciliation efforts fail, then he makes a report to 'he Stale Government or any Government which is ihe appropriate authority. After receiving a report or from the Labour Commissioner, a reference the State Government or the appropriate authority scrutinises the report and then takes a decision whether the case should be referred to a tribunal or to a labour court for adjudication. according to the State Government or the appropriate authority, it is not a fit case for being referred to a labour court for adjudication, then the Sate Government rejects the application or rejects rhe request for reference to a labour court. And while communicating Ihe decision of the State Government to the worker or to the concerned person, the State Govt, has give the

reasons why they are rejecting it. They communicate the reasong also for rejecting the application. Sir, this is the procedure which is applicant,, not only to 'all the other employees who yre working either in establishments or in shops or in industries or anywhere where the Industrial Disputes Aet is applicable, but it is equally applicable !o all those employees working in the newspaper indus! rv. Sir aftpr all. a workman is a

workman, whether he works in the newspaper industry or he works in an establishment or he works in any other industry. I think all workmen, all workers have got equal rights. But now what Mr. Dhabe wan's is that the employees of the newspaper industry should be given the opportunity of approaching the court direct. Sir, if I agree to the proposal that has been put forth through this Bill, then I cannot make it an isolated case. If workmen working in the newspaper industry are to be allowed to approach the court direct, then why not we give the same facility to the workmen working in other establishments and other industries? How can we deny that right to them? How can we make any discrimination? I do not know whether it is constitutionally correct on our part to make such a discrimination with regard to the workers working only in the newspaper industry and treating workers working in other establishments and other industries on a different footing. I do not think it is possible. So this is the difficulty. Supposing a worker feels that his application for referring his case to a labour court was rejected without valid grounds, then he has got an opening-not that he has not got an opening, He can go with a writ petition to the High Court or he can go with a writ petition to the Supreme Court.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: I agree with the point that you are making but you can also examine the proposition from the point of view of reasonable classification. I request you to do that.

SHRI VEERENDRA PATIL: The honourable Shri Mitra is suggesting that may have a reasonable classification. I do not know whether we can make any discrimination and whether we can make the case of employees working in the paper industry a separate case and give this benefit and at the same time deny the same benefit to other workers working in different establishments and industries. I do not know and I think it is for the legal pundits and legal experts to go into that and advise me...

SHRI LAL K. ADVANI (Madhya Pradesh): Mr. Mitra is a legal expert. paper Employees (Conditions oi

SHR1 VEERENDRA PATIL: What 1 was trying to impress upon the honourable Members was in t'ne normal course if the ease is a good case, a prima facie case, and if the Governmen! feels that injustice has been done to a particular worker, I don't think the State Covernment will reject that application. On the o'her h'and, when ihey scrutinise the apDli-cation they will take into consideration whether t'nere is a genuine case, whether there is a prima facie case, whethe'r it is a fit case to be referred to the tribunal or to the labour court. Even after taking this power of scrutiny and screening of the cases before referring them to the labour court, I want to make it clear because hon'ble Members would like to know wny the Government wants to take 'his power of scrutiny or screening or 'he power of giving permission before referring t'ne case to the labour court the only problem that we are facing is that, as it is, there are so many cases pending in the labour courts, there are so many pending in the tribunals, for years, together that the workers are losing faith in system itself. For the benefit of hon'ble Members I want to quote the figuresexpecting the State of Jammu and Kashmir—as on 31-3-1983 in t'ne sphere of Sta'.es: The cases that are pending in all the labour courts in the States is 1,51,246. I do not know when they are going to be disposed of-including collective and disputes individual and individual applications. So far as the Central Government Industrial Tribunals are cerned where we are the appropriate authority, as on 29-2-19.84 3,681and applications are pending. Even after having this power of scrutiny and screening and only selected cases, where there is a good case, a genuine case, are refered, even then t'ne number is so large, and if we give a free hand to everybody to approach the courts, then I do not know, the number Can run into millions. When aie they going to be decided? Tha' is the main problem. That is why the Government is taking this power. I agree that for referring the cases when applications are made, the State Government or whichever the appropriate authority, they should not take more time, that they

should dispose of the case 'as early as possible and tell the party whether iViey are going to refer the case for adjudication or not. 1 will see that suitable adminis rative instructions are issued and these delay are minimised to the extent possible.

We have already taken certain steps fol speedy disposal, and that Bill which was discussed here and passed-----the Industrial Disputes (Amendment) Act, 1982—we have not been able to notify it. Hon. Members are aware of the difficulties why we 'nave not beeri able to no:ify it. Thai is a different matter and I do not wani to go into the details of it now. What we have provided in that Act for speedy disposal is like this—I shall put it in brief-

"With a view t<sub>0</sub> ensuring speedy disposal of industrial disputes, the Industrial Disputes (Amendment) Act has een passed. The amendment provides, inter alia, the following:

Tn case of 'an industrial disputes connected with individual workmen, the industrial court or labour court shall give its award within a period of . 3 months.'"

In The case of other disputes the order referring a dispute lo a National Tribunal/ Industrial Tribunal/Labour! Court shall specify the period within which the award shall be submitted.

It would be obligatory for every industrial establishment employing 50 or more workmen to set up a grievance settlement authority so as to enable workmen to seek setlement of industrial disputes connected with individual workmen.

Where a Labour Court awards reinstatement of a workmen and it is contested by the employer in High Court/Supieme Court, the workmen would be entitled to receive from his erstwhile employer, 1(H) per cent of the wages lasl drawn by him. inclusive of maintenance allowance, if any, otherwise admissible under any rule.

laneows Provisions

(Amdt.) Bill, 1980

These are a few steps We have taker, in order to see that the eases are disposed of as early as possible.

Before 1 conclude, I would like to inform the House and ihe Hon'ble Members that we "are ihinking oi' a compre hensive Bill, Justice Mitra was jusi now saying I'nat if Government is prepared to give an assurance that t>uch a compre hensive Bill is under consideration........

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Is it in respect of Industrial Disputes Act?.

SHR1 VEERENDRA PATIL: It is in respect of working journalists. We have already received ceriain suggestions and we have yet to receive a few more. I have already said that we have different forums where we can discuss the problems of working journalists and employees in the newspaper industry. Jn addition. I can assure the Hon'ble Member that a comprehensive Bill is under consideration. It will be really comprehensive so that we should not have to go in for piecemeal legislation thereafter on this subject, In the circumstances I request Hon'ble Shri Dhabe who is a seasoned trade union leader 'and who knows the difficulties not to press this Bill, but to agree to withdraw this Hill. When the comprehensive Bill cornes up for discussion, all Hon'ble Members will have sufficient opportunities to express their views.

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT: One clarification. The Hon'ble Minister said t'nat newspaper is a State t, Suppose a paper is of an all-India character 'and i's correspondents are working all over the counlry. In other words, if a Bombay paper has a correspondent in Haryana and when a dispute arises, what should he do?

SHRI VEERENDRA PATIL: The may be anywhere. If the worker belongs to a particular paper and is working in a particular State, and if he has got any grievance, he can approach t'ne Labour Commissioner of that State and he can get it conciliated. If  $h_{\rm E}$  fails to i conciliated, then he can approach  $t_{\rm e}$  fails to i conciliated, then he can approach  $t_{\rm e}$  fails to i conciliated.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I am really surprised at the .Ministers statement that the labour courts will be flooded with cases if the power is given to workers or\* the working class. I am not sure whether he knows the position in at least three States Under section 78 of the Bombay Industrialisation Act. 1946, and under section 16 of the Central Provinces and Berar Industrial Disputes Settlement Act. 1947 and under the M.P. Industrialisation Act, 1962; the workers can go to the Labour Courts direct. The same provision is there in the Gujarat Act also. What is the result? That was my contention. The result was that t'ner, was no dispute or any strike or any tension among the workers. If these workers have to go to the court, there will not be any trouble. Otherwise, strike takes place even for suspension. That was the experience. What is the number of textile workers now? The number of journalists and Ihe other newspapers employees all over India taken together cornes to about fifty 'o sixty thousand. But Bombay alone itas got about 2 1/2 lakhs of textile workers. Three States, that is, Maharashtra. Madhya Pradesh ani Gujarat, have got about seven to eight lakhs of textile and other workers covered by the Aels. I am told that it is about a million So. thes, Acts apply to other industries also like the steel industry. So, the remedy is not to say that t'ne labour courts will be flooded with cases. But the remedy is to open more labour courts. In my region of Vidarbha in Maharashtra, in eight districts, there were few labour courts and now every district has gol one labour court and the matters are disposed of in about six months or one year. Therefore, t'nis is not something new which I am suggesting.

Secondly, a question has been raised as to what will happen because they ary governed by the Industrial Dispute? A-t, Here the Government itself has erred. They have taken out the non-journalists from the purview of the Industrial Disputes Act by providing a wage board for them. The Industrial Disputes Act provides for a wage board and award by t'ne industrial tribunal. You

(Condition of

(Amdt.) Bill, 1980

non-journalists also there will be a separate wage board. Therefore, this category of nonjournalists you have talcen out and placed 'hem under the Act for the journalists for providing them a wage board. Now, I have quoted the Patna High Court case. They do not consider the journalists as workmen and they have struck this down. It has been said that the journalists or non journalists will have a wage board. Many have suggested lhat time has come to cover the entire newspaper industry under the Working Journalists Act which should be applicable to both. This is not only my demand, but t'ne demand of the Indian Federation of Working journalists and also the other Union, the National Union of Journalists. You cannot have a partial application of one Jaw and partial application of another law. Therefore, it is necessary to have one sel of laws and to make it applicable to all the employees. I only regret that my friend and colleague on the other hand Mr. Razi s'aid that the law is quite good. He made a speech opposing it. But 1 had already pointed out in 1981, when Journalists Act Amendment Bill came up for discussion, about section 16A. What have you provided under 1'iiis section? What does it say? Now, this section has been quoted by some speakers here. It speaks about retrenchment of the workers. It says:

"No employer, in relation to a newspaper industry, shall dismiss or retrench any newspaper employee

f raised this question even at that time. There is no remedy. Only if it becomes illegal, the man will  $b_e$  prosecuted for the breach of the Act. But there is no provision here which you have made that breach of the Act tate place, he will have 'a remedy. Merely creating a right is not sufficient. You must also have a remedy under the law. Therefore, section 16A supports my contention rna the labourers must have a direct access to the courts. Even if one man inffers in not getting a reference, it is

law and I think the honourable Minister of Labour knows this. In this connection, Sir, 1 would only like to say that merely creating rights under the law is not sufficient. I[ is a fundamental principle of law that if you create a right, you must also creat a remedy for the breach of that right and t'nat the remedy should be epeditious and 'adequate too. There was no reply to my question as to what wil] happen if my reference is refused. Now, I cannot go to the civil court under the common law because, you have deprived me of that right.

SHRI VEERENDRA PATIL; But you can go to the High Court.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE; You know what it means. You have deprived me of the ordinary citizen's right under the common law in t'ne country of going to the civil court. Now, I will have to file a writ petition and spend about five thousand rupees o''' so and go to the Supreme Court which is no answer to the problem of a poor man. I have already quoted a particular case of a journalist. I am grateful to all the honourable Members who have participated in the debate and supported my amendment.

Now, Sir, I have quoted a case of .1 newspaper in Delhi itself whose editoi has been placed under suspension for eleven months. Show me a single similar provision, where it can be challenged. There is no provision. Therefore, al! the categories of punishment require to be re-examined and there should be some particular mode of doing this.

Lastly, the Labour Miniser, for whom I have a great regard, said something about appropriate Government. I never said that the State Government may do it But what is t'ne existing law. What happened in the textile workers' strike? The textile magnates were so powerful that the unions could not do anything. Therefore, when there is a class struggle going on, between the working class and the management, there should be the least interference by the Government in

258

to themselves to carve out their nights. But as my friend, the Labour Minister, has agreed that he will bring a ompre-hensive Bill to cover the ournalists and non-working journalists, and I hope that he will bring as early as possible.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Your idea has been met.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I hope he will bring it as early as possible Do not put it in the cold storage for a long time. Even a piecemeal legislation would do Many piecemeal legislations even 'about mere raising salary limit to Rs. 1600 or more are brought by Government. However in view of the assurance given by the Minister—I think the matter is very important and journalists must get a fair deal-in view of the assurance that has been given, I may be 'allowed to withdraw the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Is it the pleasure of the House to permit Shri Dhabe to withdraw the Bill?

hon. Member dissented.]

[The Bill was, by leave of the House withdrawn.]

#### REFERENCE TO THE ALLEGED IN-DIFFERENT TREAMENT GIVEN TO SANSKRIT IN INDIA

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त (जम्म ग्रीर महोदय, मैं काश्मीर): उपसभाध्यक्ष ग्राज संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं । संस्कृत भाषा समस्त भावाग्रों की जननी है ग्रीर समस्त भाषाओं को यह शब्द भंडार दे रही है। यह किसी समय बहुत ही उच्च ग्रासन पर बैठी थी। लेकिन ग्राज धीरे धीरे इसका ग्रासन डोल रहा है ग्रीर गिर रहा है । संस्कृत समस्त की जननो के ग्रतिरिक्त हमारी संस्कृति

की घरोहर है । जो बड़े-बड़े स्कालर ध्रधंर विद्वान दूसरी भाषास्रों के हैं जब वे भारत में ग्राते हैं तो वे संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं और उसके साहित्य का विवे-चन करते हैं ताकि भारत की परम्परा भारत की संस्कृति को जान सके। यह राब संस्कृत में है ग्रीर किसी भाषा में नहीं है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि संस्कृत जो भारत की भाषा है, जहां से निकलो है वहां उसका प्रचार यौर प्रसार न होकर विदेशों में हो रहा है। श्राप रिशयन में देखिये, उसमें पता नहीं कितने सैकडों ग्रंथों का ग्रनबाद , संस्कृत से रिशयन भाषा में हो चुका है। इसी प्रकार से वैस्ट जर्मनी ग्रीर दूसरे मुल्क हैं जहां संस्कृत की शिक्षा दी जाती है और पढ़ाई जाती है। महोदय, पिछले वर्ष जापन के एक प्रोफेसर हैं डा० शिघोक महैदा भारत आये थे। वह वहां संस्कृत के प्रोफेसर हैं ग्रौर वह दर्शन पढ़ाते हैं। वह दिल्ली में ग्राये थे ग्रीर मुझे मिले थे। उन्होंने कहा कि जापान में संस्कृत काप्रचार बढ़ रहा है ग्रीर लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। जम्म यनिवसिंदी में संस्कृत की हेड आफ की डिपार्टमेंट डाक्टर वेद कमारी डेनमार्क गई ग्रीर वहां पाश्रिमी के ग्रष्टध्यायी को पढ़ाती रही, उन्होंने कहा कि वे वड़े चाव के साथ, बड़े स्नेह के साथ संस्कृत पढ़ते थे। ग्रष्टध्यायी में उन्होंने इतनी कीच दिख-लाई कि वह 8-10 महीने में इसका बिल्कल मनन कर गये। विष्य संस्कृत सम्मेलन हो र है। पांच सम्मेलन हो चुके है। पांचवा सम्मेलन वाराणसी में हुआ बाजिसमें मैं भी एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। उससे पहले वेस्ट जर्मनी में सम्मेलन हुआ था। वाराणसी में डेढ सौ के करीब विदेशी विद्वान जो संस्कृत के थे वह सम्मिलित हुए ग्रीर उन्होंने मझे कहा कि इण्डिया लिब्ब विकाज ग्राफ संस्कृत । यह उन विद्वानों